

प्रेस विज्ञप्ति थाना तिवारीपुर दिनांक 12.11.2020

प्रतिबंधित जानवर का शिकार करने के आरोप में शस्त्र के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

आगामी दीपावली व धनतेरस के त्योहार के मद्देनजर व अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने का निर्देश वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर द्वारा दिया गया था जिसके अनुपालन में चलाये जा रहे अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी कोतवाली के पर्यवेक्षण में थाना तिवारीपुर की टीम को सघन चेकिंग में लगाया गया था। जिसके क्रम में उक्त टीम द्वारा चेकिंग के दौरान दो अभियुक्तगणों को कार की डिग्गी से शिकार किये हुए मृत नीलगाय के बच्चे के साथ डोमिनगढ़ तिराहा थाना तिवारीपुर से गिरफ्तार किया गया।

अपराध जिसमें गिरफ्तारी की गयी-

- 1- मु0अ0सं0 821/2020 धारा 429 भादवि, 11 पशु कुरता अधि0, 30 आर्म्स एक्ट व 2/9/39/48/51 वन्य जीव संरक्षण अधि0 थाना तिवारीपुर गोरखपुर

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त का विवरण:-

1. मेराज हाशमी पुत्र खुशींद हासमी निवासी मीनू बाबू का हाता तुर्कमानपुर थाना राजघाट गोरखपुर उम्र करीब 42 वर्ष।
2. शाकिब मसूद पुत्र आसिम मसूद निवासी छोटेकाजीपुर थाना कोतवाली गोरखपुर उम्र करीब 35 वर्ष।

गिरफ्तारी का स्थान व दिनांक:-

डोमिनगढ़ थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर, दिनांक 12.11.2020 समय करीब 11.00 बजे।

बरामदगी-

1. एक अदद हुंडई वरना कार न0- UP53BE7117 सफेद रंग
2. एक अदद रायफल 0.22 बोर
3. 02 अदद जिन्दा कारतूस व 01 अदद खोखा कारतूस 0.22 बोर

गिरफ्तारी टीम के सदस्यों का नाम:-

1. श्री मनोज कुमार राय (थाना प्रभारी थाना तिवारीपुर, गोरखपुर)
2. उ0नि0 पुष्पेन्द्र द्विवेदी (थाना तिवारीपुर, गोरखपुर)
3. उ0नि0 विकास कुमार सिंह (थाना तिवारीपुर, गोरखपुर)
4. हे0का0 कमल किशोर मिश्रा (थाना तिवारीपुर, गोरखपुर)
5. का0 सुनिल यादव (थाना तिवारीपुर , गोरखपुर)
6. का0 दीपक यादव (थाना तिवारीपुर , गोरखपुर)
7. का0 अंजनी कुमार (थाना तिवारीपुर , गोरखपुर)